


1. पुस्तक संख्या/कक्षा संख्या/वर्ष; 2005 ध/कक्षा 4 1/2 से अधिक  
कक्षा संख्या; दस्तावेज संख्या/कक्षा संख्या/कक्षा संख्या

कक्षा संख्या; कक्षा संख्या/कक्षा संख्या/कक्षा संख्या; कक्षा संख्या/कक्षा संख्या, आदि; %  
कक्षा संख्या/कक्षा संख्या/कक्षा संख्या/कक्षा संख्या %

यद्यपि यह कार्यालय जिला स्तर पर कलेक्टर के प्रभावी नियंत्रण एवं मार्गदर्शन में संचालित होकर कलेक्टर की एकीकृत शाखा के रूप में कार्यरत है, तथापि कार्यालय प्रमुख के रूप में सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग का प्रथम श्रेणी स्तर का एक पद स्वीकृत है। कार्यालय का रेखाचित्रीय ढाँचा निम्न प्रकार रखा जा सकता है।




दर	i nuke	'kfDr; kW	fooj . k
1	सहायक आयुक्त	प्रशासकीय	संपूर्ण जिला स्तरीय प्रशासकीय कर्तव्य जैसे छात्रवृत्ति, शिष्यवृत्ति स्वीकृति, कर्मचारियों के अवकाश, स्वत्वों का निराकरण, दण्ड शक्तियाँ, अनुशासनात्मक कार्यवाही, पदोन्नति, क्रमोन्नति, भर्ती आदि।
		वित्तीय	सामग्री खरीदी, वेतन भत्तो, पेंशन आदि का भुगतान, राहत, प्रोत्साहन राशि, स्वीकृति हेतु कलेक्टर को प्रस्तुत करना।
		अन्य	क्षेत्र में भ्रमण, संस्थाओं का निरीक्षण, तकनीकी कार्यों का निरीक्षण, राष्ट्रीय तथा राजकीय स्तर के महत्वपूर्ण कार्य, चुनाव, जनगणना आदि।
2	सहायक संचालक (शिक्षा)	प्रशासकीय / वित्तीय	जिला अधिकारी द्वारा सौंपने पर
		अन्य	शैक्षणिक संस्थाओं का निरीक्षण, पर्यवेक्षण, शैक्षिक योजनाओं का क्रियान्वयन, परीक्षा परिणामों का अनुश्रवण, छात्रवृत्ति, कन्या साक्षरता, छात्रगृह, छात्रावास तथा अन्य शैक्षणिक योजनाओं का अनुश्रवण/पर्यवेक्षण
3	क्षेत्र संयोजक	प्रशासकीय / वित्तीय	जिला अधिकारी द्वारा सौंपने पर छात्रवृत्ति / शिष्यवृत्ति की स्वीकृति वितरण तथा अन्य योजनाओं का क्रियान्वयन। आहरण संवितरण
		अन्य	छात्रावास/आश्रमों का भ्रमण, निरीक्षण, छात्रवृत्ति/शिष्यवृत्ति वितरण की जाँच, विभिन्न विभागीय योजनाओं का क्रियान्वयन/ पर्यवेक्षण
4	सहायक सांख्यिकीय अधिकारी	प्रशासकीय / वित्तीय	जिला अधिकारी द्वारा सौंपे गये कार्य
		अन्य	सांख्यिकीय कार्य, बैठकों की जानकारियाँ तैयार करवाना तथा वरिष्ठ कार्यालयों को भेजना, मासिक पत्रकों की जानकारी भिजवाना आदि।
5	कनिष्ठ लेखाधिकारी	—	बजट आवंटन, पुनरावंटन का कार्य करवाना, ऑडिट, छात्रवृत्ति/शिष्य वृत्ति तथा निर्माण संबंधी पंजियों का संधारण करवाना, केश-बुक का अवलोकन, लेखा तथा भंडार शाखा पर पर्याप्त नियंत्रण, छात्रवृत्ति/ शिष्यवृत्ति के बैंक स्कूल महालेखाकार को भिजवाना आदि।

फूलग दैकद 2 % dk; kzy; eā i nLFk vf/kdkfj; kā ds uke@i nuke@drD; %

दं	vf/kdkjh dk uke	i nuke	drD;
1	श्री जे.एस. डामोर	सहायक आयुक्त	जिला स्तरीय समस्त प्रशासकीय, वित्तीय एवं अन्य कर्तव्य
2	रिक्त	सहायक संचालक (शिक्षा)	
3	श्री ए. के. श्रीवास्तव	क्षेत्र संयोजक	छात्रवृत्ति/शिष्यवृत्ति स्वीकृति, संस्थाओं का निरीक्षण आहरण संवतिरण कार्य आदि।
4	श्री एच.सी. जैन	सहायक सांख्यिकीय अधिकारी	सांख्यिकीय कार्य, बैठक संबंधी जानकारी, मासिक जानकारी का प्रेषण। डाक नियंत्रण आदि
5	श्री व्ही.के. नेगी	कनिष्ठ लेखाधिकारी	लेखा संबंधी, ऑडिट संबंधी गतिविधियों/कार्यों पर नियंत्रण एवं स्थापना कार्य। छात्र. पर नियंत्रण
6	श्री मदन पाटीदार	उपयंत्री	निर्माण कार्य पर्यवेक्षण निरीक्षण
8	श्री आर.के. राय	उपयंत्री	यथोपरि

फूलग दैकद 3 % dk; kzy; eā vi uk; h tkus okyh fu. k; dh i fdz; k %uLrh  
[kksys tkus l s fu. k; yus rd% dks js[ kkp= %xkQ% dh  
l gk; rk l s fn[kk; k tkosA  
fu. k; dh i fdz; k dk js[kk fp=



फूलग दैकद 4 % dk; kzy; ds }kjk l e; l hek eā dk; l fucVkuš xq koRrk  
rFkk ek=k l ca/kh eki n. M %

विभाग में महत्वपूर्ण योजनाओं, कार्यक्रमों की निम्नानुसार समय सीमा निर्धारित है :-

क्र.	en	fu/kkfj r l e; l hek
1	पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति	अनुसूचित जाति / आदिवासी पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति माह दिसम्बर में देय हैं ।
2	राहत प्रकरणों का निराकरण	एक माह, प्रकरण पूर्ण प्राप्त होने पर।
3	मेधावी छात्र पुरस्कार योजना	26 जनवरी को देय।
4	सदभावना शिविर का आयोजन	प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को।
5	आदर्श पंचायत पुरस्कार	प्रतिवर्ष 26 जनवरी को।
6	अंतर्जातिय विवाह प्रोत्साहन	स्वीकृति अनुसार
7	निर्माण कार्य	निविदा शर्त अनुसार।

अन्य योजनाओं, कार्यक्रमों में समय-समय पर प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही की जाती है।

निर्माण कार्यों की गुणवत्ता तकनीकी अमले की देखरेख में सुनिश्चित की जाती है, क़य सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित क़य समिति द्वारा देखी जाती है। छात्रावास, आश्रमों में भोजन की गुणवत्ता समय-समय पर निरीक्षण के दौरान देखी जाती है।

5 % foHkkx ds vf/kfu; e@fu; eka dh l |ph| foHkkxh; ; kst ukvka ds l |pkYu| fdz; klO; u ds funr k %&

1. मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965।
2. मध्यप्रदेश वित्तिय नियम 1995 भाग 1 व 2
3. मध्यप्रदेश अवकाश नियम।
4. मध्यप्रदेश सामान्य भविष्य निधि नियम।
5. मध्यप्रदेश सिविल सेवा पेंशन नियम 1976।
6. मध्यप्रदेश कर्मचारी बीमा सह बचत नियम 1985 एवं 2003।
7. सिविल सेवा अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955।
8. अनुसूचित जाति, जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989।
9. अशासकीय संस्था अनुदान नियम 1985।
10. छात्रावास नियम 1966, 1967 यथा संशोधित
11. अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के विद्यार्थियों को मेट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति।
12. अनुसूचित जाति, जनजातियों से संबंधित मेधावी छात्रों के लिये डॉ. अंबेडकर राष्ट्रीय छात्रवृत्ति।
13. अनुसूचित जाति, जनजाति के प्रतिभावान छात्र, छात्राओं के लिये पब्लिक स्कूलों में प्रवेश।
14. अनुसूचित जाति / जनजाति के व्यक्तियों के लिये सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना एवं कोचिंग योजना।
15. मेधावी छात्र पुरस्कार योजना।
16. अनुसूचित जाति, जनजाति के विद्यार्थियों के लिये उत्कृष्टता संस्थान योजना।
17. अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछडा वर्ग के विद्यार्थियों के लिये विद्यार्थी कल्याण योजना।
18. अनुसूचित जाति, जनजाति के विद्यार्थियों के लिये साइकिल प्रदाय योजना एवं साइकल रख-रखाव योजना।

19. अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विद्यार्थियों के लिये छात्र गृह योजना। मात्र कक्षा 11 वीं एवं 12 वीं हेतु।
20. अनुसूचित जाति एवं जनजाति, के विद्यार्थियों को राजस्व अधिकारियों के माध्यम से जाति प्रमाण पत्रों का प्रदाय।
21. माध्यमिक शिक्षा मंडल को देय शुल्क की प्रतिपूर्ति।
22. विभाग द्वारा कय की जाने वाली सामग्री की नियम प्रक्रिया।
23. अस्पृश्यता निवारणार्थ अंतर्जातिय विवाह प्रोत्साहन योजना नियम 1978/ यथा संशोधित।
24. अस्पृश्यता निवारणार्थ सदभावना शिविर का आयोजन।
25. अस्पृश्यता निवारण के लिये ग्राम पंचायतों को पुरस्कार।
26. मध्यप्रदेश अनुसूचित जाति, जनजाति राहत योजना नियम 1979।
27. अनुसूचित जाति एवं जनजाति बस्तीयों का सघन विकास।
28. अत्याचार से पीडित व्यक्तियों को आर्थिक सहायता, पुनर्वास आदि हेतु आकस्मिकता योजना नियम 1995।
29. अनुसूचित जाति/जनजाति विद्यार्थियों हेतु आवास योजना ( महाविद्यालय हेतु)

fclnq dækad 6% dk; kÿ; dh fofHKUu 'kk[kkvka ds uke] 'kk[kkokj dk; kã dh | |ph| 'kk[kkokj | ðkkfj r fd; s tkus okys vfHkys[ kka dh | |ph

क्र.	'kk[kk dk uke	dk; kã dk foaj .k	ðkkfj r vfHkys[k
1	स्थापना-1	विभागीय उत्कृष्ट विद्यालय, उमावि, हाईस्कूल, मा.वि. एवं प्रा.वि. अन्य कार्यालयों से संबंधित समस्त कार्य, प्राचार्य, व्याख्याताओं, उ.श्रे.शिक्षक, सहायक शिक्षक, लिपिक वर्ग एवं चतुर्थ श्रेणी कार्यपालिका/ राजपत्रित की स्थापना संबंधी कार्य, वरिष्ठ स्तर पर होने वाली पदोन्नति हेतु गोपनीय चरित्रावलियों का संधारण एवं प्रेषण, उमावि, हाई स्कूल, मा.वि. प्रा.वि. एवं अन्य कार्यालय से संबंधित अन्य कार्य, एवं प्राचार्य एवं व्याख्याताओं, उ.श्रे.शिक्षक, सहायक शिक्षक, लिपिक वर्ग एवं चतुर्थ श्रेणी से संबंधित समस्त कार्यवाही जिसमें कार्यभार कार्य मुक्ति सम्मिलित है। अनुकम्पा नियुक्ति आदि।	प्राचार्यों का सेवा अभिलेख, गोपनीय चरित्रावली संधारण एवं अन्य संगत अभिलेख।
2	स्थापना-2	विभागीय उमावि, हाईस्कूल, मावि, प्रावि एवं कनिष्ठ प्रावि से संबंधित संविदा कर्मी/ अध्यापक शिक्षक संवर्ग के स्थानांतरण, पदोन्नति आदि से संबंधित कार्यवाही, गोपनीय चरित्रावली संधारण, संकलन, भर्ती की कार्यवाही, कार्यभार, कार्य मुक्ति आदि।	संविदा कर्मी / अध्यापक / शिक्षक संवर्ग के समस्त अभिलेखों का संधारण
3	स्थापना-3	न्यायलयीन प्रकरणों का संधारण, निराकरण, वादात्तर तैयार करना एवं प्रस्तुतीकरण	न्यायलयीन प्रकरणों की पंजी का संधारण
4	शिकायत/ निरीक्षण	विभिन्न शिकायतों की जाँच, निलंबन, विभागीय जाँच, एवं निराकरण आदि के कार्य।	शिकायत पंजी, एवं विभागीय जाँच पंजी का संधारण एवं निरीक्षण प्रतिवेदनो पर कार्रवाही
5	जनशिकायत	समस्त प्रकार की जनशिकायतें / मुख्यमंत्री समाधान आनलाईन/ मुख्यमंत्री हेल्पलाईन/ माननीय मंत्री/माननीय सांसद/माननीय विधायक आदि से प्राप्त शिकायतों को निराकरण	प्राप्त शिकायतों की पंजी का संधारण एवं प्रकरणों का निराकरण

6	लेखा, आडिट शाखा, कम्प्यूटर एवं व्यय पत्रक	बजट संबंधी कार्य, केश बुक संबंधी कार्य, बजट आवंटन, पुनरावंटन, जी.पी.एफ. स्वीकृति, कार्यालय का वेतन भुगतान, कम्प्यूटर संबंधी कार्य। आडिट संबंधी कार्रवाई, व्यय पत्रक तैयार करना।	केशबुक, चेक रजिस्टर, बिल रजिस्टर, एमपीटीसी चालान, ड्राफ्ट रजिस्टर, जीपीएफ/डीपीएफ पंजी, कांटेजेंसी पंजी, आवंटन पंजी, आय व्यय संघारण, कार्यालय के अधिकारियों, कर्मचारियों की जीपीएफ/डीपीएफ पासबुक संघारण।
7	छात्रवृत्ति एवं छात्रावास (अजजा.)	अशासकीय संस्थाओं की पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति स्वीकृति, जिले की, पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति तथा अन्य समस्त प्रकार की विभागीय छात्रवृत्ति तथा अजजा. शिष्यवृत्ति स्वीकृति की जानकारी का संकलन। छात्रावास, आश्रमों का संचालन, सीट वृद्धि, सीट हस्तांतरण, प्रवेश, छात्रवृत्ति, शिष्यवृत्ति लेखे का समायोजन, साईकिल प्रदाय,, छात्र गृह, आवास योजना, आईटीआय तथा छात्रवृत्ति, छात्रावास से संबंधित अन्य संगत कार्यवाही।	अशासकीय संस्थाओं को पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति, शिष्यवृत्ति जानकारी पंजी का संघारण, छात्रवृत्ति, शिष्यवृत्ति का संघारण, लेखे का संघारण।
8	योजना	जिले में संचालित समस्त विभागीय योजनाएँ जो अन्य शाखा में सम्मिलित नहीं है से संबंधित कार्यवाही। संबंधित नस्त्रियों का संघारण योजनाएँ जैसे अंतर्जातिय विवाह, सदभावना शिविर का आयोजन,, सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना, अस्पृश्यता निवारण हेतु ग्राम पंचायत पुरस्कार, मेधावी छात्र पुरस्कार,, पब्लिक स्कूलों में प्रवेश, विभिन्न प्रकार की जानकारियों का शाखाओं से प्राप्त कर संकलन, प्रेषण, आदिवासी उप योजना विशेष घटक योजना की जानकारी का प्रेषण तथा अन्य मासिक एवं नियमित जानकारियों का प्रेषण।	योजनावार पंजी का संघारण।
9	राहत	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति राहत योजना का संचालन, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम तथा अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, आकस्मिकता योजना।	राहत स्वीकृती एवं वितरण पंजी, आकस्मिकता योजना स्वीकृति एवं वितरण संबंधी पंजी।
10	भंडार	विभागीय संस्थाओं, छात्रावासों, आश्रमों हेतु कय की गई एवं प्राप्त सामग्री पंजी का संघारण, वितरण एवं रख रखाव, कार्यालय उपयोग हेतु स्टेशनरी का कय एवं वितरण सामग्री के अपलेखन एवं नीलामी संबंधी कार्यवाही, कार्यालय के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को वर्दी प्रदाय।	वस्त्र पंजी, बर्तन पंजी, विविध पंजी, फर्नीचर पंजी, स्टेशनरी पंजी, वर्दी वितरण पंजी का संघारण खेल सामग्री पंजी का संघारण।
11	निर्माण	समस्त विभागीय नवीन निर्माण कार्य करना, मरम्मत कार्य स्वीकृति एवं उपलब्ध आवंटन के आधार पर करना, विभागीय निर्माण संबंधी प्रक्रिया निविदा (टेण्डर) विज्ञप्ति से लेकर उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजने तक की कार्यवाही, माप पुस्तिका का रख रखाव एवं जॉच, निर्माण से संबंधी पंजियों का संघारण, निर्माण कार्यों का निरीक्षण पर्यवेक्षण आदि तथा निर्माण संबंधी जानकारी तैयार कर प्रेषित करना।	निर्माण कार्यों की पंजी संघारण, माप पुस्तिका पंजी संघारण, उपयोगिता प्रमाण पत्र पंजी संघारण।
12	स्काउट	स्काउट गाईड एवं जूनियर रेडकास से संबंधित समस्त कार्य, विभिन्न शिविरों का आयोजन, प्रशिक्षण, स्काउट शुल्क, गाईड शुल्क एवं रेडकास शुल्क संस्थाओं से प्राप्त करना एवं वरिष्ठ कार्यालय को भेजना। प्राप्त राशि का लेखा शाखा के सहयोग से रख रखाव	स्काउट गाईड एवं रेडकास पंजी का संघारण।

		स्काउट संबंधी सामग्री क्रय।	
13	क्रीडा	जिले में विभागीय क्रीडा प्रतियोगिताओं का आयोजन खेल कैलेण्डर अनुसार करना एवं चयनित विद्यार्थियों को आगामी स्तरों पर भेजना, क्रीडा सामग्री क्रय, वितरण तथा रख रखाव, क्रीडा शुल्क प्राप्त करना	क्रीडा शुल्क पंजी का संघारण
14	आवक शाखा	कार्यालय में विभिन्न कार्यालयों एवं जनता से प्राप्त पत्रों को प्राप्त करना तथा संघारित करना एवं संबंधित शाखाओं को वितरण करना, प्राप्त डाक को अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करना।	विधानसभा, लोकसभा, लोकल, वरिष्ठ डाक पंजी, विशिष्ट व्यक्तियों, संस्थाओं से प्राप्त पत्र पंजी एवं जन शिकायत पंजी का संघारण।
15	जावक शाखा	कार्यालय से विभिन्न कार्यालयों, संस्थाओं, आम जनता तथा विशिष्ट व्यक्तियों को डाक भेजने की कार्यवाही, स्टाम्प टिकिट का हिसाब रखना।	जावक पंजी, टपाल बुक तथा डाक वितरण एवं स्टाम्प पंजी का संघारण।
16	वन व्यवस्थापन	वन अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त समस्त प्रकरणों का निराकरण एवं जानकारी/अभिलेख का रख रखाव	वन अधिकार (हक) प्रामाण्य पत्र (पट्टे)स्वीकृति एवं निरस्तीकरण संबंधी / अभिलेख

fclnq dækad 7 ftyk Lrj ij xfbR ijke'kñk=h | fefr dh | jipuk %&

जिला स्तर पर ऐसी कोई समिति गठित नहीं है जो विभागीय नीति निर्धारण का कार्य करती है।

fclnq dækad 8 ftyk Lrj ij xfbR fofHkUu | fefr; k dk fooj .k %&

क्र०	समिति का नाम	सदस्यों का विवरण	बैठक की अवृति	बैठक में भाग लेने वाले	अन्य विवरण
1	जिला स्तरीय विभागीय परामर्शदात्री समिति	विभिन्न शासकीय कर्मचारी संघों के जिला स्तरीय प्रतिनिधि	त्रैमासिक	कर्मचारी संघ के पदाधिकारी	कार्यवाही विवरण जारी किया जाता है
2	अजा/अजजा राहत योजना स्वीकृति तथा आकस्मिकता योजना के तहत राहत स्वीकृत हेतु समिति	कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास	मासिक	कालम तीन अनुसार	-
3	अजा/अजजा अत्याचार निवारण सर्तकता एवं मानिट्रिंग समिति	मान०सांसद महोदय मान० समस्त विधायक, जिला दण्डाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, सहायक आयुक्त, आवि, चयनित अजा/अजजा के अधिकारी एवं दो अन्य चयनित सदस्य	त्रैमासिक	कालम तीन अनुसार	कार्य विवरण जारी किया जाता है
4	जिला स्तरीय विभागीय क्रय समिति	शासन से समय प्राप्त निर्देशानुसार	आवश्यकता अनुसार	कालम तीन अनुसार	-

5 (अ)	भारत स्काउट एवं गाइड म0प्र0 जिला संघ खरगोन	माननीय प्रभारी मंत्री-सरंक्षक, कलेक्टर- अध्यक्ष, सहायक आयुक्त- जिला कमिश्नर स्काउट, श्रीमती देवकी जाधव- जिला कमिशन गाइड, एवं अन्य सदस्य	वार्षिक	कालम तीन अनुसार	कार्य विवरण जारी किया जाता है
5(ब)	जूनियर रेडक्रास की जिला स्तरीय उप समिति	सहायक आयुक्त आवि- अध्यक्ष, एक चिकित्सक- सदस्य, एक पंचायत एवं समाज सेवा का सदस्य, दो प्राचार्य, दो सामाजिक कार्यकर्त्ता	वार्षिक	कालम तीन अनुसार	कार्य विवरण जारी किया जाता है
6	निर्माण कार्यो की निविदा स्वीकृति हेतु समिति	कार्यपालन यंत्री, ग्रा0यं0सेवा, कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, सहायक आयुक्त, आ0वि0, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जिला कोषालय अधिकारी,, सहायक यंत्री, आवि	आवश्यकता नुसार	कालम तीन अनुसार	-

fclnq dækad 9

dk; kly; ds l elr vf/kdkfj ; ks@de/pkfj ; ka ds uke] i nuke , oa i rk

क्रं.	नाम	पदनाम	पता एवं दूरभाष क्रं.
1	श्री जे.एस. डामोर	सहायक आयुक्त	ओल्ड ऑफिसर्स कॉलोनी, गायत्री मंदिर के पास, खरगोन मो.नं. 9425033493
2	रिक्त	सहायक संचालक	
3	श्री ए.के. श्रीवास्वत	क्षेत्र संयोजक	ओल्ड आफिसर्स कॉलोनी, खरगोन मो. नं. 94259 85904
4	श्री एच.सी. जैन	सहा. सांख्य. अधि.	5,स्वास्तिक रेसीडेंसी सनावद रोड, खरगोन मो.नं. 99260-10221
5	श्री विनोद नेगी	कनि. लेखाधिकारी	सौमित्र नगर खरगोन मो.नं. 98268 52762
6	श्री अश्विन गुप्ता	क्रीडा अधिकारी	62,रुद्रेश्वर कालोनी बिस्टान रोड खरगोन मो0नं0-9407134072
7	श्री आर.के. राय	उपयंत्री	ओल्ड ऑफिसर्स कॉलोनी गायत्री मंदिर के पास खरगोन मो. नं. 94250 37462
8	श्री मदनलाल पाटीदार	उपयंत्री	बिस्टान रोड पुराना आरटीओ ऑफिस के सामने खरगोन मो. नं. 9406676611
9	श्री राजेश दांगी	लेखापाल	मोतीपुरा खरगोन मो.नं.-9893844857



10	श्री हरिश परसाई	लेखापाल	नूतन नगर, खरगोन- मो.नं. 9926498787
11	श्री प्रमोद महाजन	लेखापाल	जैतापुरा रोड हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, खरगोन मो.नं-9827221776
12	श्री अशोक कुमार पाटीदार	लेखापाल	अवनीग्राम खरगोन मो0नं0 - 9424057306
13	श्री विजय जोशी	लेखापाल	ए-1 आदर्श नगर खण्डवा रोड खरगोन मो0नं0-9926035817
14	श्री योगेन्द्रसिंह मण्डलोई	सहा.ग्रेड-2	गौरीधाम कॉलोनी खरगोन मो.नं-9826494848
15	श्रीमती लीला वास्कले	सहा.ग्रेड-2	शास्त्री नगर, बिस्तान रोड, खरगोन-241133
16	श्री शैलेन्द्र सोनवानी	सहायक ग्रेड-2	न्यू आफिसर्स कालोनी खरगोन मो0नं0-9926447412
17	श्री शरद बर्वे	सहायक ग्रेड-2	मांगरूल रोड खरगोन मो.नं. -9753168981
18	श्री रूपसिंह चंदेल	सहायक ग्रेड-2	कुन्दा नगर बिस्तान रोड खरगोन, मो. नं.-9926606910
19	श्री चेतन सोलंकी	सहा.ग्रेड-3	कृष्णसुदामा नगर बिस्तान रोड खरगोन मो. नं- 9977804838
20	श्रीमती ममता मण्डलोई	सहा.ग्रेड-3	ग्रीन पार्क कॉलोनी, बिस्तान रोड खरगोन मो.नं. 99772 25813
21	श्री मांगीलाल सावनेर	सहा.ग्रेड-3	विभागीय परियोजना आवास, न्यू आफिसर्स कॉलोनी, खरगोन मो. नं. 9977103508
22	श्री दिनेश कुमरावत	सहा.ग्रेड-3	श्रीकृष्णधाम न्यू एरिया कुन्दा नगर, खरगोन मो. नं. 99776 49016
23	श्री लक्ष्मण कुमरावत	सहा.ग्रेड-3	आदर्श नगर, खरगोन मो. नं. 7999952420
24	श्रीमती मधु बघेल	सहा.ग्रेड-3	स्वर्णकार कालोनी, खरगोन मो. नं. 9926021248
25	श्री शिवराम नागर	कम्प्यूटर आपरेटर	ओल्ड आफिसर्स कॉलोनी, खरगोन मो. नं. 9826763677
26	श्री जयनारायण गुप्ता	वाहन चालक	ओल्ड आफिसर्स कॉलोनी, नाले के पास, खरगोन मो. नं. 99268 41092
27	श्री मुकेश गाडगे	भृत्य	छात्रावास परिसर, बिस्तान रोड खरगोन मो.नं.- 8120471988
28	श्री शैलेन्द्र सिंह चौहान	भृत्य	गौरीधाम कॉलोनी खरगोन मो.नं.- 9754105561
29	श्री दिलीप चौहान	भृत्य	वैष्णवी कॉलोनी, खरगोन मो. नं. - 9098473021
30	श्री राजनाथ योगी	भृत्य	चमेली की बाड़ी खरगोन मो.नं. - 9926953346
31	श्री विक्रम चौहान	भृत्य	संजय नगर, बिस्तान रोड, खरगोन मो.

			नं.— 9977767368
32	श्री जितेन्द्र चौहान	भृत्य	विभागीय आवास बी.टी.आय. रोड खरगोन मो.नं.— 9754290608
33	श्री इन्द्रराज सिंह सोलंकी	भृत्य	विधुतनगर डाबरिया रोड खरगोन मो. नं.— 9669664877
34	श्री चिन्तामण रावल	भृत्य	इंदिरा नगर उमरखली रोड खरगोन मो0नं0 — 9617309260
35	श्री रविन्द्र मिश्रा	भृत्य	आशाधाम कॉलोनी खरगोन मो.नं— 9926045602
36	श्री सौपान बोरसे	चौकीदार	इंदिरा नगर उमरखली रोड खरगोन मो0नं0 — 9926019320

fclnq dækad& 10 dk; kly; ds l eLr vf/kdkfj; kã de[pkfj; kã ds uke] i nuke] orueku , oa nuj Hkk"k l i dZ@i rk vkfn %

कार्यालय में पदस्थ समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को म0प्र0शासन/विभाग द्वारा निर्धारित नियमानुसार वेतन, मंहगाई भत्ता आदि देय है! जिनका नामवार विवरण निम्नानुसार है :-

क्र	उके	इनके	orueku , oa dly i fj yfc/k; kW	i rk , oa nuj Hkk"k dæ
1	श्री जे.एस. डामोर	सहायक आयुक्त	15600-39100 82700+9924 = 92624	1,ओल्ड ऑफिसर्स कॉलोनी, गायत्री मंदिर के पास, खरगोन मो.नं. 9425033493
2	रिक्त	सहायक संचालक		
3	श्री ए.के. श्रीवास्वत	क्षेत्र संयोजक	15600-39100 62700+7524 = 70224	ओल्ड आफिसर्स कॉलोनी, खरगोन मो. नं. 94259 85904
4	श्री एच.सी. जैन	सहा. सांख्य. अधि.	15600-39100 95900+11508 1708=109116	स्वास्तिक रेसीडेंसी सनावद रोड, खरगोन मो.नं. 99260—10221
5	श्री विनोद नेगी	कनि. लेखाधिकारी	5200-20200 60300+7236 1088= 68624	सौमित्र नगर खरगोन मो.नं. 98268 52762
6	श्री अश्विन गुप्ता	क्रीडा अधिकारी		62.रुद्रेश्वर कालोनी बिस्टान रोड खरगोन मो0नं0—9407134072
7	श्री आर.के. राय	उपयंत्री	9300-34800 5100+6120 = 57120	ओल्ड ऑफिसर्स कॉलोनी गायत्री मंदिर के पास खरगोन मो. नं. 94250 37462
8	श्री मदनलाल पाटीदार	उपयंत्री	9300-34800 49500+5940 884=56324	बिस्टान रोड पुराना आरटीओ ऑफिस के सामने खरगोन मो. नं. 9406676611
9	श्री राजेश दांगी	लेखापाल	5200-20200 47500+5700 895=54095	मोतीपुरा खरगोन मो. नं.—9893844857
10	श्री हरिश परसाई	लेखापाल	5200-20200	नतन नगर, खरगोन—

			59100+7092 1090= 67282	मो.नं.- 9926498787
11	श्री प्रमोद महाजन	लेखापाल	5200-20200 44800+5376 745=50921	जैतापुरा रोड हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, खरगोन मो. नं-9827221776
12	श्री अशोक कुमार पाटीदार	लेखापाल	5200-20200 54100+6492 899= 61491	अवनीग्राम खरगोन मो0नं0 - 9424057306
13	श्री विजय जोशी	लेखापाल	5200-20200 54100+6492 926=61518	ए-1 आदर्श नगर खण्डवा रोड खरगोन मो0नं0-9926035817
14	श्री योगेन्द्रसिंह मण्डलोई	सहा.ग्रेड-2	5200-20200 34100+4092 595=38787	गौरीधाम कॉलोनी खरगोन मो.नं- 9826494848
15	श्रीमती लीला वास्कले	सहा.ग्रेड-2	9300-34800 49500+5940 888=56328	शास्त्री नगर, बिस्तान रोड, खरगोन- 241133
16	श्री शैलेन्द्र सोनवानी	सहायक ग्रेड-2	5200-20200 33100+3972 =37072	न्यू आफिसर्स कालोनी खरगोन मो0नं0-9926447412
17	श्री शरद बर्वे	सहायक ग्रेड-2	5200-20200 35100+4212 628=39940	मांगरूल रोड खरगोन मो.नं. - 9753168981
18	श्री रूपसिंह चंदेल	सहायक ग्रेड-2	5200-20200 41000+4920 709=46629	कुन्दा नगर बिस्तान रोड खरगोन, मो.नं.- 9926606910
19	श्री चेतन सोलंकी	सहा.ग्रेड-3	5200-20200 20700+2484 993=24177	कृष्णसुदामा नगर बिस्तान रोड खरगोन मो. नं- 9977804838
20	श्रीमती ममता मण्डलोई	सहा.ग्रेड-3	5200-20200 33100+3972 607=37679	ग्रीन पार्क कॉलोनी, बिस्तान रोड खरगोन मो. नं. 99772 25813
21	श्री मांगीलाल सावनेर	सहा.ग्रेड-3	5200-20200 33200+3984 =37184	विभागीय परियोजना आवास, न्यू आफिसर्स कॉलोनी, खरगोन मो. नं. 9977103508
22	श्री दिनेश कुमरावत	सहा.ग्रेड-3	5200-20200 34100+4092 615=38807	श्रीकृष्णधाम, न्यू एरिया कुन्दा नगर खरगोन मो. नं. 99776 49016
23	श्री लक्ष्मण कुमरावत	सहा.ग्रेड-3	5200-20200 39800+4776 723=45299	आदर्श नगर, खरगोन मो. नं. 7999952420
24	श्रीमती मधु बघेल	सहा.ग्रेड-3	5200-20200 35100+4212 634=39946	स्वर्णकार कालोनी, खरगोन मो. नं. 9926021248
25	श्री शिवराम नागर	कम्प्यूटर आपरेटर	5200-20200 21900+2628	ओल्ड आफिसर्स कॉलोनी, खरगोन, मो.

			350=24878	नं. 9826763677
26	श्री जयनारायण गुप्ता	वाहन चालक	5200-20200 39800+4776 =44576	ओल्ड आफिसर्स कॉलोनी, नाले के पास, खरगोन मो. नं. 99268 41092
27	श्री मुकेश गाडगे	भृत्य	4440-7440 27400+3288 = 30688	छात्रावास परिसर, बिस्टान रोड खरगोन मों.नं.- 8120471988
28	श्री शैलेन्द्र सिंह चौहान	भृत्य	4440-7440 22100+26532 448=25200	गौरीधाम कॉलोनी खरगोन मो.नं.- 9754105561
29	श्री दिलीप चौहान	भृत्य	4440-7440 25800+3096 516=29412	वैष्णवी कॉलोनी, खरगोन मो. नं. - 9098473021
30	श्री राजनाथ योगी	भृत्य	5200-20200 31500+3780 619=35899	चमेली की बाड़ी खरगोन मो.नं. - 9926953346
31	श्री विक्रम चौहान	भृत्य	4440-7440 25800+3096 516=29412	संजय नगर, बिस्टान रोड, खरगोन मो.नं.- 9977767368
32	श्री जितेन्द्र चौहान	भृत्य	4440-7440 25800+2096 20=28946	विभागीय आवास बी. टी.आय. रोड खरगोन मों.नं.- 9754290608
33	श्री इन्द्रराज सिंह सोलंकी	भृत्य	4440-7440 27200+3264 444=30908	विधुतनगर डाबरिया रोड खरगोन मो.नं.- 9669664877
34	श्री चिन्तामण रावल	भृत्य	4440-7440 27200+3264 597=31061	इंदिरा नगर उमरखली रोड खरगोन मो0नं0 - 9617309260
35	श्री रविन्द्र मिश्रा	भृत्य	4440-7440 31500+3780 600=35880	आशाधाम कॉलोनी खरगोन मो.नं.- 9926045602
36	श्री सौपान बोरसे	चौकीदार	4000-7000 4000+6160 =10160	इंदिरा नगर उमरखली रोड खरगोन मो0नं0 - 9926019320

फॉल्लिंग टैबल 12

विभिन्न योजनाओं की जानकारी

क्र०	विभाग का नाम	योजना का नाम	योजना का विवरण	योजना में दी जाने वाली सहायता		हितग्राही चयन प्रक्रिया	आवेदन पत्र कहां उपलब्ध होगा आवेदन कहां करें	हितग्राही आयु	स्वीकृतकर्त्ता अधिकारी	अन्य विवरण
				ऋण	अनुदान					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1- i kDeDNk=ofRr %&								
		(अ) आदिवासी	व्यवसायिक संस्थाओं, कालेज एवं पॉलेटेक्निक में पढने वाले आदिवासी छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति	लागू नहीं	लागू नहीं	संस्था में अध्ययनरत होने पर समस्त छात्र छात्राओं को उपस्थिति के आधार पर	संस्था प्रमुख / एमपी. टॉस पोर्टल	-	11संस्थाओं के मामले में संस्था प्रमुख एवं अशास0 संस्थाओं के मामले में नवीनीकरण सहायक आयुक्त एवं नवीन स्वीकृति कलेक्टर	आय के आधार पर विभिन्न दरों पर कक्षा अनुसार देय
		(ब) अनु0जाति	व्यावसायिक संस्थाओं, कालेज एवं पॉलेटेक्निक में पढने वाले अनु0जाति छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति	लागू नहीं	लागू नहीं	संस्था में अध्ययनरत होने पर समस्त छात्र छात्राओं को उपस्थिति के आधार पर	संस्था प्रमुख / एमपी. टॉस पोर्टल	-	उक्तानुसार	आय के आधार पर विभिन्न दरों पर कक्षा अनुसार देय
		2- f' k"; ofRr %& (अजा / अजजा	विभागीय छात्रावास / आश्रमों में निवास करने वाले अजा.अनुसूचित जनजाति / छात्रों को रुपये 1230 प्रतिमाह तथा छात्राओं को रुपये 1270 प्रतिमाह शिष्यवृत्ति प्रदान की जाती है ।	लागू नहीं	लागू नहीं	छात्रावास / आश्रम में निवासरत होने पर उपस्थिति के आधार पर	छात्रावास / आश्रम अधीक्षक	-	सहायक आयुक्त	शिष्यवृत्ति माह जुलाई से 10 माह तक देय

	3- fo   kFkhZ dY; k. k %v tk@v t tk %	कक्षा 1 ली से उपर पढने वाले अनु0जाति, जनजाति के बच्चों को गंभीर बीमारी, इंजिनियरिंग, पोलेटेक्नीक तथा मेडिकल कॉलेज में प्रवेश छात्रावास/आश्रम / शैक्षणिक संस्था में रहने के दौरान मृत्यु एवं अन्य शैक्षणिक गतिविधियों पर 500 से 25000/- तक की सहायता प्रदान की जाती है !	लागू नहीं	लागू नहीं	संस्था में नियमित अध्ययनरत होने पर संस्था के प्रमाणीकरण तथा आवश्यक प्रमाण पत्र के आधार पर	संस्था प्रमुख / आदिवासी विकास विभाग	-	कलेक्टर / सहायक आयुक्त	निर्धारित वित्तीय सीमा में संबधित अधिकारी स्वीकृत कर सकते हैं।
	4- e%kkoh Nk= i j Ldkj ; kstuk	कक्षा 10वी एवं 12वी बोर्ड की परीक्षा में जिले में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले अनु0जाति एवं जनजाति चयनित छात्र/छात्राओं को प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान करना	लागू नहीं	लागू नहीं	माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा घोषित परीक्षा परिणाम के आधार पर	संस्था प्रमुख (आवेदन आवश्यक नहीं)	-	कलेक्टर (आदिवासी विकास)	चयनित प्रत्येक छात्र-छात्रा को रूपये 1000 की राशि एवं प्रशंसा पत्र गणतंत्र दिवस समारोह में प्रदान किये जाते है!
	5- Nk=x'g ; kstuk %vuq fpr tutkfr %	पो0मे0छात्रावासों में वीकृत सीट की कमी होने पर प्रवेश से वंचित रहे विद्यार्थियों को कक्षा 11वी तथा 12 वीं में अध्ययन करने पर छात्रगृह की सुविधा प्रदान की जाती है! जिसमें निर्धारित किराये पर आवास सुविधा उपलब्ध कराई जाती है तथा नियमानुसार छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाती है!	लागू नहीं	लागू नहीं	संस्था में अध्ययनरत होने पर संस्था प्रमुख की अनुशंसा पर	संस्था प्रमुख	-	सहा0परि0 प्रशासक / सहायक आयुक्त	किराया निधारण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा किया जाता है
	6- vkokl ; kstuk % v tk@v t tk %	अनुसूचित जाति /जनजाति वर्ग के महाविद्यालय स्तर पर अध्ययन करने वाले ऐसे विद्यार्थियों को सहायता राशि प्रदान की जाती हैं जो आपने मूल निवास स्थान से अन्य स्थल के महाविद्यालयों में अध्ययनरत होकर किराये का मकान/कमरा लेकर अध्ययन कर रहे हो इस योजना के तहत जिला स्तर पर 1250 रुपये प्रतिमाह तथा ब्लाक/तहसील स्तर रुपये 1000 प्रतिमाह की दर से सहायता राशि दी जाती हैं ।	लागू नहीं	लागू नहीं	संस्था में अध्ययनरत होने पर संस्था प्रमुख की अनुशंसा पर	संस्था प्रमुख	-	संस्था प्रमुख / कलेक्टर ( आदिवासी विकास)	एमपी. टॉस पोर्टल के माध्यम से स्वीकृति की जाती हैं ।

	7- vartkrh; fookg	सामान्य (सवर्ण) जाति के युवक/युवती द्वारा अनु0जाति वर्ग की युवती/युवक के साथ विवाह करने पर प्रोत्साहन राशि दी जाती है	लागू नहीं	लागू नहीं	04 सदस्यसिीय समिति की अनुशंसा पर	आदिम जाति कल्याण विभाग	विवाह के समय आयु लडके/ लडकी की 21/ 18 वर्ष अनिवार्य	कलेक्टर (आदिवासी विकास)	योजना के तहत रूपये 2.00 लाख नगद प्रदान किया जाता है ।
	8- jkgr ; kstuk	अनु0जाति/जनजाति के व्यक्तियों को आर्थिक विपन्नता, लडकियों के विवाह आदि हेतु सहायता दी जा सकती है	लागू नहीं	लागू नहीं	निर्धारित मापदण्डों की पूर्ति होने पर	जनपद पंचायत/जिला कार्यालय आदिवासी विकास विभाग	विवाह के प्रकरणों में आयु कमशः 21 तथा 18 वर्ष	कलेक्टर (आदिवासी विकास)	निर्धारित मापदण्डों की पूर्ति करने पर रूपये 15000 तक की आर्थिक सहायता दी जा सकती है!
	9- vkdfLedrk ; kstuk	इस योजना के तहत सामान्य वर्ग के द्वारा उत्पीडित (मारपीट/हत्या/बलात्कार/अपमान) आदि अनु0जाति तथा जनजाति वर्ग के लोगो को विभिन्न तरह से सहायत दी जाती है! जिसमें नगद तथा अन्य प्रकार से सहायता सम्मिलित है!	लागू नहीं	लागू नहीं	पुलिस विभाग (आजाक प्रकोष्ठ) द्वारा प्रकरण में अनुशंसा प्राप्त होने पर राहत समिति के अनुमोदन पर	सामान्य आवेदन पुलिस विभाग (आदिवासी विकास)	-	कलेक्टर (आदिवासी विकास)	योजना के तहत पुलिस विवेचना उपरान्त राहत समिति की अनुशंसा आवश्यक
	10- vLi"; rk fuokj .k l nHkkouk f' kfoj	छुआछुत की भावना को लोगो के मन से निकालने के शासकीय प्रयास के रूप में हर वर्ष चयनित स्थान पर अस्पृश्यता निवारण सदभावना शिविर का आयोजन किया जाता है	लागू नहीं	लागू नहीं	अनु0जाति की जनसंख्या तथा आयोजन स्थल की सुविधा के आधार पर तथा प्रत्येक वर्ष विकासखंड बदलकर	हितग्राही	-	कलेक्टर (आदिवासी विकास)	सामान्यतः आयोजन गांधी जयंती के अवसर पर 02अक्टुबर को किया जाता है
	11- vkn'kz xke i pk; r i jLdkj	इस योजना के तहत अनु0जाति वर्ग के हित में कार्य करने वाली जिले की सर्वश्रेष्ठ पंचायत को आदर्श ग्राम पंचायत के रूप में चयनित कर पुरस्कृत किया जाता है!	लागू नहीं	लागू नहीं	शासन स्तर से निर्धारित चयन समिति की अनुशंसा पर	-	-	कलेक्टर (आदिवासी विकास)	चयनित पंचायत को रूपये 1.00 लाख का नगद राशि से गणतंत्र दिवस समारोह में पुरस्कृत किया जाता है!

	12- v' kkl dh; l lFkkvka dks vuqku	अनु0जाति, जनजाति वर्ग के कल्याण तथा विकास हेतु चलाई जा रही अशासकीय संस्थाओं को निर्धारित मापदण्डों का पालन करने पर अनुदान स्वीकृत किया जाता है! अनुदान छात्रावास/आश्रम/बालवाडी के संचालन आदि हेतु देय है	लागू नहीं	लागू नहीं	संस्था द्वारा किये जा रहे कार्यो का अवलोकन तथा निरीक्षण उपरांत	जिला कार्यालय (आदिवासी विकास)	-	शासन (आदिम जाति कल्याण विभाग / कलेक्टर , आदिवासी विभाग )	-
	13- fl foy l ok i jh{kk i kRl kgu	इस योजना के तहत अनु0जाति /जनजाति वर्ग के व्यक्तियों को संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा प्रारंभिक तथा मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार उपरांत चयन होने पर विभिन्न स्तरों पर सफलता प्राप्त करने पर रूपये 20000 से 60000 तक की सहायता देने काह प्रावधान है	लागू नहीं	लागू नहीं	लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित व्यक्तियों द्वारा आवेदन करने पर	जिला कार्यालय (आदिवासी विकास)	-	कलेक्टर (आदिवासी विकास)	योजना के तहत अभ्यर्थियों के माता / पिता अभिभावक की आय अनु.जाति, मे रूपये- 6.00 लाख तथा अनु0जनजाति के मामलो में रूपये 8.00 लाख वार्षिक आय से अधिक नहीं होना चाहिए ।
	14 & fl foy l ok dkfpx %l 'k ykd l ok vk; ksx ½	इस योजना के तहत अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के युवक/युवतियों को दिल्ली स्थित कोचिंग संस्थानों में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी हेतु कोचिंग उपलब्ध कराई जाती है । कोचिंग हेतु प्रतिमाह शिष्यवृत्ति तथा कोचिंग संस्थानों का शुल्क उपलब्ध कराया जाता है ।	लागू नहीं	लागू नहीं	अनुसूचित जनजाति के मामलो मे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक / अनुसूचित जाति के मामलो में स्नातक प्रथम श्रेणी मे उत्तीर्ण होना आवश्यक है	आयुक्त आदिवासी विकास / आयुक्त अजा. विकास म.प्र. भोपाल	-	कलेक्टर ( आदिवासी विकास)	(1) भोपाल स्तर से विज्ञप्ति प्रसारित होने पर आवेदन कर सकते हैं । (2) आय सीमा रु. 6.00 लाख निर्धारित हैं।



15& vu  fpr tkfr@tutkfr cLrh fodkl ;kstuk ,oa fo qhdj.k	इस योजना के तहत अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों/बस्तियों में विभाग द्वारा खरंजा निर्माण, नाली निर्माण, सामुदायिक भवन निर्माण, मरम्मत, विद्युतीकरण, पम्पो को ऊर्जाकरण के कार्य प्राप्त प्रस्तवों तथा उपलब्ध राशि अनुसार कराये जाते हैं । अनुसूचित जनजाति (आदिवासी ) बाहुल्य ग्रमों /बस्तियों में पेय जल, विद्युतीकरण, शौचालय निर्माण, सामुदायिक भवन निर्माण, सड़क निर्माण, नाली निर्माण, पम्पो के ऊर्जाकरण आदि का कार्य किया जाता है ।	लागू नहीं	लागू नहीं	अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य ग्राम/बस्ती/मजरे/टोले होना आवश्यक है ।	जिला कार्यालय (आदिवासी विकास)	-	कलेक्टर ( आदिवासी विकास)	माननीय जनप्रतिनिधियों से प्रस्ताव प्राप्त कर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत से अनुशंसित होना आवश्यक हैं ।
16& fon'sk v/; ; u Nk=ofRr	इस योजना के तहत राज्य स्तर पर निर्धारित लक्ष्य अनुसार अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों को चयनित पाठ्यक्रमों में विदेश में अध्ययन हेतु निर्धारित छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है ।	लागू नहीं	लागू नहीं	आयुक्त आदिवासी विकास /अनुसूचित जाति विकास द्वारा विज्ञप्ति जारी किये जाने पर प्राप्त आवेदनो का निराकरण उसी स्तर से होता है ।	आयुक्त आदिवासी विकास /अनुसूचित जाति विकास भोपाल	-	आयुक्त आदिवासी विकास /अनुसूचित जाति विकास भोपाल	भोपाल स्तर से विज्ञप्ति प्रसारित होने पर निर्धारित समय- सीमा में आवेदन करना आवश्यक है ।
17& Nk=kokl @vkJeks dk l pkyu	अनुसूचित जाति/जनजाति/ जाति के विद्यार्थियों हेतु जिले में विभिन्न स्तरीय छात्रावास/आश्रम संचालित किये जाते हैं, जिसमें निःशुल्क आवास, बिस्तर सामग्री, आदि के साथ-साथ भोजन व्यवस्था हेतु शिष्यवृत्ति प्रदान की जाती है ।	लागू नहीं	लागू नहीं	संबंधित छात्रावास/आश्रम अधीक्षक को आवेदन समस्त सहपत्रों के साथ प्रस्तुत किया जावे पर उपलब्ध सीट्स आय/दूरी आदि के आधार पर चयन समिति की अनुशंसा पर प्रवेश दिया जाता है ।	प्राचार्य/विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी/अधीक्षक आदि	-	निर्धारित चयन समिति	-

fclnq dækad 13 okLrfod fgrxkfg; ka dh l ph %&

जिला स्तर पर स्वीकृत योजनाओं में हितग्राहियों की सूची, जिला स्तर पर तथा क्षेत्रीय स्तर पर स्वीकृत योजनाओं जैसे छात्रवृत्ति, शिष्यवृत्ति आदि की जानकारी एवं अभिलेखों का संघारण संबंधित कार्यालयों में ही होता है जो संबंधित कार्यालय में देखा जा सकता है ।

fclnq dækad 14 dk; kÿ; e mi yC/k tkudkfj; k dh l |ph| Js kh rFkk ml dh i zdfRr %gkMZ dkl h| byDVWud QkeZ

कार्यालय में विभिन्न योजनाओं की नियमावलियाँ, अधिनियमों की नियमावलियाँ एवं अन्य अभिलेख हॉर्ड कापी के रूप में ही उपलब्ध हैं।

fclnq dækad 15 vke ukxfj d dks l |puk mi yC/k dj kus grq mi yC/k l fo/kk, W

कार्यालय में लोक सूचना अधिकारी एवं सहायक लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किये गये हैं जिनसे जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसी प्रकार संबंधित शाखा प्रभारी, कार्यालय प्रमुख (अधिकारी) तथा जन शिकायत निवारण शाखा से आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

fclnq dækad 16 yk d l |puk vf/kdkjh l s l rcf/kr tkudkj h %&

कार्यालय में श्री जे.एस. डामोर, सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, खरगोन को लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किया गया है जिनका आवासीय पता ओल्ड ऑफिसर्स कॉलोनी, गायत्री मंदिर के पास, खरगोन होकर इनका कार्यालयीन दूरभाष क्रमांक (07282)–231236 तथा मोबाईल नं. 9425033493 है।

fclnq dækad 17 vl; i kl fxd tkudkj h %&  
foHkkx ds vrxr l |pkfyr foHkku l lFkkvk l |pkfyr g %&

i k-fo- &	1771 अजा. जूनियर छात्रावास, अजजा. सिनियर छात्रावास, अजजा. आश्रम/ छात्रावास
ek-fo- &	552 कन्या शिक्षा परिसर
gkbLdny &	97 अजजा. जूनियर छात्रावास, अजा. महाविद्यालयीन छात्रावास
mekfo- &	65 आदर्श आवासीय विद्यालय, अजा. सिनियर छात्रावास, अजजा. महाविद्यालयीन छात्रावास, एकलव्य विद्यालय
, dy0; fo  ky; -	02
dl; r शिक्षा परि. -	04
vkn' k' vkokl h; fo  k- &	01
vtk- tfu; j Nk=k- &	16
vttk- tfu; j Nk=k- &	04
vtk- fl fu; j Nk=k- &	22
vttk- fl fu; j Nk=k- &	66

vtk- egkfo | ky; hu Nk=k- & 05

vttk- egkfo | ky; hu Nk=k- & 04

vttk- vkJe@l kenkf; d & 45

एकलव्य विद्यालयों, आदर्श आवासीय विद्यालय, कन्या शिक्षा परिसर आवासीय होकर यहाँ अध्ययन एवं निवास दोनों ही व्यवस्था होती हैं। विभागीय प्रावि/मावि संस्थाओं का संचालन खण्ड शिक्षा अधिकारी/प्राचार्य के नियंत्रण में प्रधान पाठकों द्वारा किया जाता है। हाईस्कूल/उमावि का संचालन संबंधित प्राचार्यों द्वारा किया जाता है। प्राचार्य एवं खण्ड शिक्षा अधिकारियों पर सहायक आयुक्त का प्रशासकीय नियंत्रण होता है। छात्रावासों, आश्रमों पर प्राचार्यों/खण्ड शिक्षा अधिकारियों का प्राथमिक नियंत्रण होता है। जिला स्तर पर सहायक आयुक्त का नियंत्रण होता है।

I gk; d vk; Ør]  
vkfne tkfr dY; k.k foHkkx] [kj xku